

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Hisar Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0014

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

15/06/2024 01:09 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	327
2	IPC 1860	347
3	IPC 1860	384
4	IPC 1860	388
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Friday

Date from (दिनांक से):

14/06/2024

Date To (दिनांक तक):

14/06/2024

Time Period (समय अवधि): Pahar

8

Time From (समय से): 22:50

hrs

Time To (समय तक): 22:50

hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 15/06/2024

Time (समय): 00:15

hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):

002

Date and Time

(दिनांक और समय):

15/06/2024 00:35

hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 1 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): HAU गेट नं 4 हिसार,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुधीर

(b)

Father's Name (पिताका नाम): रविन्द्र कुमार

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1997

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	तलवन्डी बादशाहपुर, HISAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	तलवन्डी बादशाहपुर, HISAR, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7410950013

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अंकुश		Father's Name: रमेश	1. दुर्जनपुर, HISAR, HARYANA, INDIA
2	सुनिल		Father's Name: रमेश	1. दुर्जनपुर, HISAR, HARYANA, INDIA
3	संचित			1. HISAR, HARYANA, INDIA
4	SI राजेश कुमार			1. Unknown, UNKNOWN
5	एक सरदार सी.एम. फ्लाईंग			1. अम्बाला, AMBALA, HARYANA, INDIA
6	Unknown1			1. Unknown, UNKNOWN

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

हिसार ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं सुधीर पुत्र श्री रविन्द्र कुमार वासी तलवन्डी बादशाहपुर, जिला हिसार का स्थाई निवासी हूँ मैं 12 वी कक्षा पास हूँ मैं करीब साडे तीन साल से एडवोकेट प्रदीप सिवाच, चैम्बर न. 212, कोर्ट परिसर, हिसार के पास बतौर मुन्शी कार्य करता हूँ मेरी जानकारी सुनील पुत्र श्री रमेश कुमार वासी दुर्जनपुर, जिला हिसार से करीब तीन माह पहले जानकारी हुई थी, जो सुनील ने दिनांक 10-06-2024 को समय करीब 4 बजे पी.एम.पर मेरे मोबाईल न. 741095-0013 पर फोन करके कहा कि मैंने फर्म खोली है, जिसके GST से सम्बन्धित कागजात चैक करने हैं, आप मेरे कागजात चैक कर दो, मैंने उससे कहा कि मुझे मेरी बहन अनीता को हिसार एयरपोर्ट में नौकरी लगाने के लिए दिनांक 11-02-2024 को दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, किसी जानकार से बहन की नौकरी हेतु बात करनी है, तो सुनील ने कहा शायद मैं भी दिल्ली चला जाऊ, पहले आप मेरे GST के कागज चैक कर दो, मैंने कहा ठीक है, जिसपर मैं व मेरा दोस्त आशुतोष पुत्र श्री हवा सिंह वासी गाँव बडोपल, सांय को समय करीब 7 बजे लान्धडी टोल पलाजा, सिरसा रोड के पास महादेव ढाबा पर आ गये, सुनील सिल्वर रंग की वरना गाडी लेकर आ गया, उस गाडी के आगे नम्बर प्लेट नहीं थी, उसमे हम बैठकर होटल दा ग्रेन्ड, जवाहर नगर हिसार आ गये, जोकि वह होटल सुनील के दोस्त संचित का था, मैंने GST के कागजात चैक किये व सुनील ने हमारे खाने पिये व रहने का होटल में ही इन्तजाम कर दिया, दिनांक 11.06.2024 को सुबह समय करीब 7/8 बजे हम नहा धो कर तैयार हो गये उसी समय सुनील का भाई अकुंश भी आ गया व सुनील मेरे को बोला आप एक बार मेरे साथ गाँव दुर्जनपुर मे चलो मुझे घर से कुछ खाली चैक, रूपए व डाक्युमेंटस लेने हैं।उनको चैक करने के बाद आपको वापीस हिसार छोड दूंगा। हम होटल मे खाना खाकर सुनील के घर गाँव दुर्जनपुर के लिए समय करीब 11 बजे सुबह उसकी आल्टो गाडी रंग सफेद मे मैं व सुनिल निकल लिए। आशुतोष व अकुंश उसी होटल मे रह गये थे उसके बाद सुनील के घर पर चाय पी कर समय करीब 12 पी.एम .पर सुनील कुछ खाली चैक, रूपए व डाक्युमेंटस लेकर उसी अल्टो गाडी मे हिसार के लिए बाई पास होते हुए आ रहे थे बाई पास पर हम करीब तीन किलोमीटर चले थे तो हमारी गाडी के आगे काले रंग की करेटा गाडी टेम्पेरी नम्बर जिसका नम्बर याद नहीं है आगे लगा दी फिर काले रंग की क्रेट गाडी से तीन व्यक्ति उतर कर हमारी गाडी के पास आ गये उनमे से एक व्यक्ति ने पुलिस की वर्दी डाल रखी थी जिसके दो स्टार लगे हुए थे और नेम प्लेट पर राजेश नाम लिखा हुआ था उनमे से एक सरदार था जिसने पगडी बाध रखी थी एक और व्यक्ति था जो दोनो ही सिविल ड्रेस मे थे उनमे से सादी वर्दी वाली एक व्यक्ति ने हमारी गाडी की खिडकी खोली पूछा कि सुनील कुमार कौन है तो सुनील ने कहा मैं सुनिल हूँ जो सुनिल को गाडी से नीचे उतार लिया और तीन चार थप्पड मारे फिर मेरे को भी गाडी से नीचे उतार लिया और मेरा नाम पुछा फिर हम दोनो को करेटा गाडी मे बिठा लिया और हम दोनो के मोबाईल फोन सिविल ड्रेस वाले ने लेकर सब इन्सपेक्टर को दे दिये फिर सिविल ड्रेस पहने व्यक्ति ने पिछे से आकर कहा कि यह रहा माल जो सब इन्सपैक्टर को एक सफेद रंग का लिफाफा दिया जिसमे कुछ सामान था फिर सब इन्सपेक्टर ने पुछा यह किसका है मैंने कहा मुझे पता नहीं है सुनील ने भी कहा की यह मेरा नहीं है फिर सब इन्सपेक्टर ने कहा की हमने अम्बाला मे एक व्यक्ति को 100 ग्राम अफीम मे पकडा है उसने तेरा नाम लिया है फिर सुनील ने यह स्विकार कर लिया की यह मेरा है फिर सब इन्सपेक्टर ने कहा आप और क्या काम करते हो तो सुनील ने कहा मैं आनलाईन फ्रीड का काम करता हूँ फिर सब इन्सपेक्टर ने कहा आप के साथ और कौन -2 है फिर सुनील ने मेरा नाम ले दिया फिर

सिविल ड्रेस वाला व्यक्ति अल्टो गाडी की ड्राईवरी के लिए गाडी में बैठ गया। करेटा गाडी सब इन्सपेक्टर चला रहा था अल्टो गाडी हमारे पीछे-2 लगा दी लुदास बाई पास चौक से गाडीया वापिस घुमा ली मुझे व सुनील के साथ सरदार जी गाडी में मारपीट कर रहा था जब गाडीया सिरसा रोड पर चलने लगी तो सब इन्सपेक्टर ने सुनील को फोन देकर कहा कि घर पर बात कर जब सुनील अपने भाई से बात करने लगा तो सब इन्सपेक्टर ने फोन ले लिया और फोन पर कहा कि हमने तेरे भाई को एक किलो अफीम में गिरफ्तार कर लिया है सिरसा लेकर जा रहे हैं आ जाओ जब हम सिरसा बाई पास पर समय करीब 2 बजे पहुंचे तो पिछे से सुनिल का भाई अंकुश व संचित (होटल दा ग्रेन्ड, जवाहर नगर हिसार का मालिक) वा आशुतोष गाडी लेकर आ गए फिर अंकुश क्रेटा गाडी में आकर बैठ गया व सब इंस्पैक्टर से बातचीत करने लगा सब इंस्पैक्टर ने कहा हम इनको स्टाफ में देंगे फिर अंकुश ने कहा कि आप हमारे यहां मकान पर सिरसा शहर में चलो बैठ कर बातचीत कर लेंगे फिर अंकुश अल्टो गाडी में बैठकर गाडी अल्टो को क्रेटा गाडी के आगे आगे लेकर चलने लगा व बिना वर्दी वाला व्यक्ति वरना गाडी में बैठ गया फिर तीनों गाडीया सिरसा मकान न0 905 हुडा सैक्टर सिरसा में चले गये कोठी में मुझे व सुनिल को एक कमरे में बिठा लिया अंकुश व तीनों पुलिस वाले दुसरे कमरे में बातचीत करने लगे लगभग 5 मिन्ट बाद हमारे पास आकर कहने लगे कि पुलिस वाले 30 लाख रुपये मांग रहे हैं मैंने अंकुश को कहा मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं मेरा क्या कसूर मुझे तो किसी बात का पता नहीं था कि गाडी में क्या चीज है फिर अंकुश द्वारा हमारे पास से चला गया और कुछ देर में वापिस आकर कहने लगा कि 20 लाख में बात तय हो गई दोनों को 10-10 लाख लगेंगे नहीं तो दोनों पर मुकदमा दर्ज होगा पुलिस ने 9 बजे सांय तक का समय दिया कि या तो पैसे दे दो नहीं तो मुकदमा दर्ज कर देंगे फिर अंकुश, संचित व आशुतोष गाडी लेकर वहां से निकल गये फिर मकान के अन्दर हमारे साथ कई बार मार पिटाई की व बिठाये रखा व कोठी में सिविल वर्दी वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं CM फ्लाइंग अम्बाला से हूँ व मैंने 7-8 इन्काउंटर भी कर रखे हैं अगर वो टाईम पर पैसे लेकर नहीं आये तो सुबह तुम्हारी अखबार में इन्काउंटर की खबर आयेगी फिर हमें बिठा दिया 5/6 घन्टे हमें वहीं बिठाये रखा फिर समय करीब 7 बजे शाम को सरदार जी व बिना वर्दी वाले व्यक्ति ने खाली एक लीगल पेपर पर मुझ से साईन करवाये व एक खाली लीगल पेपर पर मेरे व सुनिल के हस्ताक्षर करवाये व खाली दो A4 पेपर पर मेरे व खाली दो A4 पेपर पर सुनिल के साईन करवाये व सरदार जी ने अपने मोबाईल में विडियो बनाई व हमारे से विडियो में कहलवाया गया कि आज हमारे पास से एक किलो अफीम सहीत फतेहाबाद बाईपास पर पकड़े गये हैं सांय 9 बजे के करीब अंकुश की इनसे बात हो गई कि काम हो गया आप कहां मिलोगे तो इन्होंने उनको सिरसा वाई पास पर बुला लिया फिर तीनों ने हमारे को क्रेटा गाडी में बिठा कर सिरसा बाईपास पर ले गये अंकुश की गाडी दुसरी साईड में खडी थी गाडी में अंकुश व मेरे चाचा विनोद पुत्र श्री हनुमान वासी तलवन्डी बादशाहपुर उतर कर क्रेटा गाडी के पिछे आकर तीनों पुलिस वालो ने बातचीत करके सिविल ड्रेस वाला व्यक्ति ने हमारे पास आकर मुझसे कहा कि आपके घर वाले पुरे पैसे लेकर नहीं आये हैं आपको नहीं छोड़ेंगे वापिस चलो फिर अंकुश व मेरे चाचा ने दोबारा बात की तो मौका पर 11 लाख रुपये में सहमत हो गये मेरे चाचा ने 5 लाख नकद कैश दिया। जो मेरे चाचा ने दो लाख एडवोकेट प्रदीप सिवाच से व तीन लाख आढती से नगद कैश लाकर दिया व अंकुश ने 6 लाख रुपये झुथरा पट्टोल पंप से फोन पर सरदार जी से फोन पर बात करके ओके करवाई व 9 लाख रुपये अगले दिन देने के लिए बातचीत तय हुई थी व हम दोनों को छोड़ दिया अब मेरे बकाया 5 लाख रुपये की बात अंकुश बार बार फोन करके कह रहा है कि पैसे जल्दी दो और पुलिस वाले कह रहे कि हमारे पास काम बहुत है आपके पैसे पुरे करवा दो। और पैसे इक्कठे होने के बाद फोन कर देना। आपको लोकेशन बता देंगे कि बाकी 9 लाख रुपये कहा देने हैं और अंकुश कह रहा कि मेरे 4 लाख रुपये तैयार है आप पांच लाख रुपये लेकर आ जाओ। आज चार लाख देने की बात हुई है जो कि मैं 4 लाख रुपये रिश्त राशी उपरोक्त सब इन्सपैक्टर राजेश कुमार, दो अन्य व्यक्ति जिसमें एक सरदार CM फ्लाइंग अंबाला व अंकुश पुत्र रमेश वासी दुर्जनपुर जिला हिसार को नहीं देना चाहता जो CM फ्लाइंग के उक्त कर्मचारी यह रिश्त राशी 4 लाख रुपये अंकुश के माध्यम से लेना चाहते हैं मेरे से व मेरे चाचा से सीधी बात नहीं करते मुझे थोडा शक है कि सब इंस्पैक्टर राजेश कुमार व अन्य दो कर्मचारी CM फ्लाइंग अंबाला और अंकुश व सुनिल दोनों भाई ने मिलिभगत करके दिनांक 11.06.2024 को 5 लाख रुपये व आज 4 लाख रुपये रिश्त राशी के तौर पर ले रहे हैं। मैंने अंकुश की रिश्त माँगने की रिकोर्डिंग भी मेरे चाचा विनोद के फोन में व आशुतोष पुत्र हवासिंह वासी बडोपल के मोबाईल न0 8930100751 के वटसअप नम्बर पर अंकुश के मोबाईल न0 9053529029 पर हुई वटसअप कोल की मेरे मोबाईल पर रिकारोडिंग की हुई है। जो हाल अभी अंकुश का फोन आया है कि 4 लाख रुपये रिश्त राशी संचित होटल मालिक को होटल दा ग्रेन्ड, जवाहर नगर हिसार में दे दे मैं संचित से आनलाईन पेमेंट ले लुंगा। जो कि मैं आपको बाद में

रिकोर्डिंग की पैन ड्राईव पेश कर दूँगा । कृपया करके सब इन्सपैक्टर राजेश कुमार, दो अन्य व्यक्ति जिसमें एक सरदार CM फ्लार्डिंग अंबाला , अंकुश, सुनिल वा संचित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे । आपकी अति कृपा होगी ।

SD Sudhir

सुधीर पुत्र श्री रविन्द्र कुमार वासी तलवन्डी

बादशाहपुर, जिला हिसार

मो0 न0 7410950013

कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय हूँ कि सुधीर पुत्र श्री रविन्द्र कुमार वासी तलवन्डी बादशाहपुर, जिला हिसार ने मुलाकी होकर बतलाया कि मैं किसी भ्रष्ट कर्मचारियों व पब्लिक मैन के खिलाफ रैड की कार्यवाही करवाना चाहता हूँ जो मेरे चाचा विनोद रिश्वत के रुपये लेकर फवांरा चौक हिसार में आयेंगे आप करीब एक घन्टे बाद फंक्वारा चौक पर आ जाना वही फंक्वारा चौक पर पूर्ण हालात बतला दुंगा व इस सम्बन्ध में दरखास्त पेश कर दूंगा जिस पर मन निरीक्षक ने हालात बारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार को बतलाये। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने श्री दलबीर सिंह राठी SDO Divn no. 1 PWD Hisar. को राजपत्रित अधिकारी /स्वतंत्र गवाह नियुक्त किया जिस पर मन निरीक्षक SDO दलबीर सिंह राठी के फोन न0 9215394253 पर सम्पर्क करके एक अन्य सरकारी कर्मचारी सहीत कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार बुलाया व मन निरीक्षक ने एक रैडिंग पार्टी जिसमें मन निरीक्षक मय निरीक्षक रमेश कुमार 555/एच , ASI विजेन्द्र 763/BWN,HC जगबीर सिंह न. 990/हिसार, HC वरिन्द्र सिंह न. 485/हिसार , EHC प्रमोद कुमार 590/भिवानी, HC दिलावर 190/FTB मय गाड़ी सरकारी न. HR03GV-8726 मय चालक ESI रधुबीर सिंह न. 212/हाँसी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार तैयार की गई कुछ समय बाद SDO दलबीर सिंह राठी कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार पहुंचे जो SDO दलबीर सिंह राठी ने अन्य कर्मचारी साथ ना आने बारे मजबूरी जाहीर की जिस पर मन निरीक्षक ने हालात उच्च अधिकारियों को बतलाकर छाया गवाह निरीक्षक रमेश कुमार 555/H को नियुक्त किया गया । जो मन निरीक्षक मय रैडिंग पार्टी मय राजपत्रित गवाह , स्वतंत्र गवाह के बा सवारी गाडी सरकारी उक्त व एक अन्य प्राईवेट गाडी के फक्वारा चौक हिसार पहुंचा जहां पर शिकायतकर्ता सुधीर उक्त व उसके चाचा विनोद कुमार पुत्र श्री हनुमान वासी तलवन्डी बादशाहपुर, जिला हिसार व आशुतोष पुत्र हवासिंह वासी बडोपल (सुधीर का दोस्त) हाजिर मिले जो समय गैर व लाईट का प्रबन्ध ना होने के कारण मन निरीक्षक मय हमराहियान व मुदई को साथ लेकर HAU के गेट न0 4 के सामने गली में पहुंचा जहां पर सुधीर उक्त ने उपरोक्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की व अपने चाचा के फोन में की हुई रिकोर्डिंग व अपने दोस्त आशुतोष के मोबाईल पर वटसअप कोल के माध्यम से अंकुश से हुई बातचीत की रिकोर्डिंग भी मुझे व राजपत्रित अधिकारी को सुनाई गई व रिश्वत राशी 4 लाख रुपये मेरे पेश की जिसकी सुचि नोट नम्बरी अगल से तैयार की व फर्द डैमोस्ट्रेशन घोल , पलन्दा डैमोस्ट्रेशन घोल, फर्द पेशगी व हवालगी नोट नम्बरी , फर्द हाथ धोवन रैडिंग पार्टी अलग से तैयार करके राजपत्रित अधिकारी , निरीक्षक रमेश कुमार 555/H छाया गवाह , शिकायतकर्ता सुधीर ने फर्दात व पलन्दा डैमोस्ट्रेशन घोल पर अपने अपने हस्ताक्षर किये जो मजबूत दरखास्त व रिकोर्डिंग से सुरत जुर्म जेर धारा 327,347,384,388 भा0द0सं0 व 7,7ए पी.सी. एक्ट का सरजद होना पाये जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त HC दिलावर 190/FTB थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार के अरसाल थाना भेजी जा रही है । बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित किया जावे तथा अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब व अफसरानबाला को भी भिजवाई जावे । मन निरीक्षक मय SDO दलबीर सिंह राठी राजपत्रित अधिकारी मय स्वतंत्र गवाह निरीक्षक रमेश कुमार 555/एच , ASI विजेन्द्र 763/BWN,HC जगबीर सिंह न. 990/हिसार, HC वरिन्द्र सिंह न. 485/हिसार , EHC प्रमोद कुमार 590/भिवानी मय गाड़ी सरकारी न. HR03GV-8726 मय चालक ESI रधुबीर सिंह न. 212/हाँसी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार मय मुदई सुधीर के आगामी कार्यवाही में मशरूफ होता हूँ । लैपटोप व प्रिन्टर मय अनुसंधान कीट पहले से ही हमरा लिये हुए हूँ ।

अज:- HAU के गेट न0 4 के सामने गली

SD Jai Singh

जय सिंह,(निरीक्षक),

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

हिसार मण्डल, हिसार ।

दिनांक 14.06.2024

समय 10.50 PM

अज थाना- हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा नं. 14 दिनांक 15.06.2024 धारा 327,347,384,388 भा0द0सं0 व 7,7ए पी.सी. एक्ट थाना भ्र.नि.ब्यूरो हिसार दर्ज रजि. किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मु.सि. दिलावर सिंह नं. 190/फतेहाबाद के हाथ वर मौका अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है। प्र.सु.रि. की स्पेशल प्रतियां तैयार करके EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब हिसार व पुलिस अधीक्षक हिसार की सेवा में भेजी जा रही हैं।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

- (1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**
- (2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** JaiSingh **Rank (पद):** I (Inspector)
No. (सं.): 224H **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**
- (3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** or (के कारण इंकार किया या)
- (4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)**
- Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**
- Name (नाम):** Mahender Singh
- Rank** Inspector
- No. (सं.):** 293/H

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes
3	Male					Is pox pitted: Yes
4	Male					Is pox pitted: Yes
5	Male					Is pox pitted: Yes
6	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)